फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022"

सोकत अली बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट   न.मु.–   /2022   GCMS No. – 2022/

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.22		

यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री सोकत अली पुत्र यासीनखाँ जाति कायमखानी निवासी नोरंगसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि रोही नोरंगसर की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 में नया खाता संख्या 106 व पुराना खाता संख्या 97 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शोकतखाँ पुत्र यासीनखाँ जाति कायमखानी निवासी नोरंगसर दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार सोकत अली पुत्र यासीनखाँ है। प्रार्थी का नाम सोकत अली पुत्र यासीनखाँ किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत उपतहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही नोरगंसर की जमाबन्दी संवत 2074–2077 में नया खाता संख्या 106 व पुराना खाता संख्या 97 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शोकतखाँ पुत्र यासीनखाँ जाति कायमखानी निवासी नोरंगसर दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थी का नाम सोकत अली पुत्र यासीनखा शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, संलग्न दस्तावेजात , उपतहसीलदार सालासर की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही नोरंगसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 में नया खाता संख्या 106 व पुराना खाता संख्या 97 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	नोरंगसर	106 (नया) 97 (पुराना)	**शोकतखाँ पुत्र यासीनखाँ जाति कायमखानी निवासी नोरंगसर**	**सोकत अली पुत्र यासीनखाँ जाति कायमखानी निवासी नोरंगसर**

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को लिखाया एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.01.09 12:57:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़